



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक: एफ 1(1)(124)स्था/निमअ/2018/पार्ट-1/13221

जयपुर, दिनांक : ६/५/२०२१

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित सुपरवाईजर महिला अधिकारिता परीक्षा, 2018 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2017 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशालय महिला अधिकारिता में निम्नांकित अभ्यर्थियों को समसंख्यक आदेश क्रमांक 15007 दिनांक 18.08.2020 के द्वारा अस्थाई आधार पर सुपरवाईजर महिला अधिकारिता के पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष हेतु परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी के रूप में नियुक्त किया गया था:-

क्र. स.	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पदस्थापन स्थान (पंचायत समिति/ब्लॉक)	जिला नाम
1	2	3	4	5	6
1	360374	सुश्री हेमलता वेदवाल	श्री रामचरण वेदवाल	किशनगढ़,	अजमेर
2	360753	सुश्री सोनिया कुमारी	श्री सुरेश चन्द्र राजोरा	अराई	अजमेर
3	229562	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	श्री विजयपाल सिंह	पहाड़ी	भरतपुर
4	432438	श्री महेश कुमार जांगिड़	श्री मदन लाल जांगिड़	दातारामगढ़	सीकर
5	114275	सुश्री ललिता घोटियां	श्री हरिशचन्द्र	मकराना	नागौर
6	458376	सुश्री कामिनी प्रजापति	श्री प्रभूराम	आबू रोड़	सिरोही

उक्त नवचयनित अभ्यर्थियों ने सुपरवाईजर के पद पर अवधि विस्तार पूर्ण होने के उपरान्त कार्यग्रहण नहीं किया है तथा इन अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण के लिए अधिकतम सीमा 06 माह की समय सीमा के उपरान्त भी अवधि विस्तार एवं कार्यग्रहण नहीं करने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र विभाग को प्रस्तुत नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त अभ्यर्थी विभाग में सुपरवाईजर के पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं।

अतः उक्त अभ्यर्थियों के द्वारा उपस्थित नहीं होने के फलस्वरूप इनके नियुक्ति आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।


(रश्मि गुप्ता)
आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांक: एफ 1(1)(124)स्था/निमअ/2018/पार्ट-1/13222-13238

जयपुर, दिनांक : 8.4.2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
5. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
6. संबंधित उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता
7. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री/.....।
9. आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक, म.अ.